न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)

आर.ए.एस

प्रकरण सं.:– 58 / 2020

1. गोपी पुत्री माधु जाति गुर्जर निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर राजस्थान हाल मु. कंवरपुरा
2. घीसी पुत्री माधु जाति गुर्जर निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर राजस्थान हाल मु. देवली जिला टोंक

वादीयागण

बनाम

1. लादू पुत्र माधु जाति गुर्जर
2. चांदू पत्नि स्व. काना जाति गुर्जर समस्त निवासीगण बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय भिनाय

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री शिव कुमार जोशी वादीयागण
श्री औंकारलाल जाट अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
पैराकार सरकार

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 06.12..2022

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय की जमाबंदी संवत 2074–2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 171 में दर्ज खसरा नं. 1136 रकबा 0.67, 1149 रकबा 0.36, 1150 रकबा 0.39, 1193 रकबा 0.75, 1204 रकबा 1.19, 1205 रकबा 1.08, 1206 रकबा 0.57, 1214 रकबा 0.90, 1215 रकबा 0.72, 1224 रकबा 0.72, 1367 रकबा 0.39, 1369 रकबा 0.20 किता– 12 रकबा 7.94 है0 भूमि वादीयागण की पुश्तैनी आराजीयात है। जो वादीयागण के पिता माधु पुत्र रेवता गुर्जर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तथा उनकी मृत्युपरांत वादीयागण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उनके विधिक वारिसान है। माधु पुत्र रेवता वादीयागण का पिता है तथा वादीयागण के पिता की मुत्यु हो चुकी हैं एवं उनकी मृत्यु परान्त वादीयागण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उनके विधिक वारिसान है। श्री काना का स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 2 है। वादवर्णित आराजीयात वादीयागण की पुश्तैनी आराजीयात होने के कारण प्रत्येक वादीया प्रश्नगत भूमि में 1/5 हिस्से की हकदार हैं एवं उसी अनुसार अपने हिस्से को काश्त कर उपज प्राप्त करते आ रहें है। प्रतिवादीगण ने वादीयागण के पिता की मृत्युपरांत विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराते समय वादीयागण का नाम दर्ज नहीं कराया जिस कारण वादीयागण को यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः वादीयागण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर वादग्रस्त भूमि वादियागण की पुश्तैनी होने के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री औंकार लाल जाट ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 2 को जारी नोटिस विधिवत तामिल होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

0.02.22 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब ाद पत्र प्रस्तुत कर वादियागण द्वारा वाद पत्र में लिखित कथन स्वीकारते हुए वादीयागण प्रत्येक को वाद ग्रस्त आराजीयात का 1/5 हिस्से का अधिकारीणी होना स्वीकार किया। उन्होने बताया के वादग्रस्त आराजीयात में वादीयागण का भी पुश्तैनी अधिकार निहित है। श्री माधू की मृत्युपरांन्त विरासत नामान्तकरण दर्ज करते समय वादीयागण का नाम वादग्रस्त आराजीयात में अंकन होने रह जाना स्वीकार करते हुए वादीयागण के वाद पत्र की पुष्टि की। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब पत्र में कथन किए कि वादियागण श्री माधू के विधिक वारिस है अथवा नहीं ? वादीयागण स्वयं साक्ष्य–सबूतों के माध्यम से सिद्ध करें। प्रश्नगत भूमियों में से प्रतिवादी सं. 2 ने स्वयं के हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि लाली पत्नि जीवराज गुर्जर को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र बेचान कर दी जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल जरिये नामान्तकरण सं. 2070 दिनांक 02.09.2020 कर दिया गया है। साक्ष्य–सबूतों के आधार पर वादीयागण को वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने पर राजहित प्रभावित नहीं होना बताया। प्रकरण के सन्दर्भ में प्राप्त प्रत्युत्तरों के अध्ययन से वाद पत्र की पुष्टि होना पाया जाने से विवाद्यक बिन्दु कायम नहीं किए गए। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा वादियागण 1, 2 एवं स्वतन्त्र गवाह राधेश्याम पुत्र रामनारायण उम्र 70 वर्ष जाति दमामी निवासी बडगांव के शपथ पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान जमाबंदी ग्राम बडगांव की जमाबंदी 2074–77 के खाता सं. 171 **प्रदर्श–1** , विरासती नामान्तकरण दिनांक 18.01.96 **प्रदर्श–2,** भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी ग्राम बडगांव खाता सं. 54 **प्रदर्श–3,** एवं ग्राम बडगांव नामान्तकरण सं. 804 दिनांक 05.05.2010 **प्रदर्श–4** अंकित किए। पुनः परीक्षण वादियागण के पक्ष में होना पाया गया। पश्चात् साक्ष्य पुनः परीक्षण वाद पत्र पर बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता वादीयागण ने वाद पत्र में अंकितानुसार वाद कथन दोहराते हुए बताया कि प्रश्नगत आराजीयात वादीयागण की पुश्तैनी आराजीयात है जिसे प्रतिवादीगण ने वादीयागण के पिता का गलत सजरा प्रमाण प्रस्तुत कर वादियागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया **(प्रदर्श–2)** गया। साथ ही अधिवक्ता वादियागण ने बताया कि पत्रावली पर उपलब्ध **प्रदर्श–3 एवं प्रदर्श–4** प्रश्नगत आराजीयात वादियागण की पुश्तैनी होने के कथन को सिद्ध करती है। पैरोकार सरकार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादियागण के वाद पत्र की पुष्टि होना अवगत कराया।

उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन करने पर प्रश्नगत आराजीयात वादियागण की पुश्तैनी आराजीयात होना एवं उसी आधार पर वादियागण का हक होना प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अत : वाद वादियागण मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय की जमाबंदी संवत 2074–2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 171 में दर्ज खसरा नं. 1136 रकबा 0.67, 1149 रकबा 0.36, 1150 रकबा 0.39, 1193 रकबा 0.75, 1204 रकबा 1.19, 1205 रकबा 1.08, 1206 रकबा 0.57, 1214 रकबा 0.90, 1215 रकबा 0.72, 1224 रकबा 0.72, 1367 रकबा 0.39, 1369 रकबा 0.20 किता– 12 रकबा 7.94 है0 आनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं एव विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री की जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद वर्णित भूमि में वादियागण को बतौर सहखातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर यथानुसार निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही कर पालना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.)

श्रीमती गोपी वगै० बनाम लादू वगै०

(विस्तृत उनवान पुष्ठ पर दर्ज है)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 209 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 58/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अधिवक्ता श्री शिवकुमार जोशी (वादी), श्री औंकारलाल जाट (प्रतिवादीसं.1) व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुददई रूबरू ....मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकलां तहसील भिनाय की जमाबंदी संवत 2074–2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 171 में दर्ज खसरा नं. 1136 रकबा 0.67, 1149 रकबा 0.36, 1150 रकबा 0.39, 1193 रकबा 0.75, 1204 रकबा 1.19, 1205 रकबा 1.08, 1206 रकबा 0.57, 1214 रकबा 0.90, 1215 रकबा 0.72, 1224 रकबा 0.72, 1367 रकबा 0.39, 1369 रकबा 0.20 किता– 12 रकबा 7.94 है० भूमि में वादियागण को बतौर सहखातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर यथानुसार निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही कर पालना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ***खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।***

निजी..........................X..........................मुबलिक..........................X..........................बाबत्..........................X....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..........................फीसदी सालाना आज की तारीख

वसूलीयत तक..........................X.......................... को अदा करें।

वसूलियाव तक..........................X.......................... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.12.2022 को डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त..........................

ओहदा..........................

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालत नामा	–	–	स्टाम्प वकालत नामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–			
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मिजान			मिजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

भिनाय (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस

प्रकरण सं.:– 58/2020

1. गोपी पुत्री माधु जाति गुर्जर निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर राजस्थान हाल मु. कंवरपुरा
2. धीसी पुत्री माधु जाति गुर्जर निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर राजस्थान हाल मु. देवली जिला टोंक

वादीयागण

बनाम

1. लादू पुत्र माधु जाति गुर्जर
2. चांदू पत्नि स्व. काना जाति गुर्जर समस्त निवासीगण बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय भिनाय

प्रतिवादीगण

(उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर))

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner